महत्वपूर्ण

संख्या-166/2018/2337/26-3-2018-4(188)/93टी0सी0

प्रेषक,

सतीश कुमार
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 08 अगस्त, 2018

विषयः- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत आवेदक के परिवार की आय सीमा में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक-883/स0क0/विकास/मु0स0वि0यो0/2018 दिनांक-18.07.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत आवेदक के परिवार की वार्षिक आय-सीमा रू0-2.00 लाख निर्धारित की जाती है। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
सतीश कुमार
अनु सचिव।

संख्या-166/2018/2337(1)/26-3-2018, तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2-निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3-प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4-प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5-निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण/जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0।
6-समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7-समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8-समस्त मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9-समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
10-समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), उ0प्र0।
11-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सतीश कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।